**संख्या: 122 /2024/ 623 /चार-2024**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2024

विषय: उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के सम्पूर्ण परिसर की फेस लिफ्टिंग / रेट्रो फिटिंग का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4584/सं0नि0-6(22)/2023-24 दिनांक 13 फरवरी, 2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के सम्पूर्ण परिसर की फेस लिफ्टिंग / रेट्रो फिटिंग का कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-14, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन रू0 978.00 लाख के परीक्षणोपरान्त प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना की लागत रू0 876.04 लाख मूल्यांकित की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के सम्पूर्ण परिसर की फेस लिफ्टिंग / रेट्रो फिटिंग का कार्य कराये जाने हेतु रू0 876.04 लाख (रू0 आठ करोड़ छिहत्तर लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 61.70 लाख (रूपये इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था का होगा।
(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टीरियर वर्क, विद्युत कार्य, ए०सी० एवं फर्नीचर आदि के कार्यों की लागत बजटरी आफर / कोटेशन / बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया किया जाना अपेक्षित है।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी के सम्पूर्ण परिसर की फेस लिफ्टिंग / रेट्रो फिटिंग कार्य से सम्बन्धित हैं। अतः प्रभाग का मत है कि निदेशक, संस्कृति विभाग, उ०प्र० की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इस समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में ऑफिस फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है। इस हेतु संस्कृति विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। इस समिति द्वारा न्यूनतम् आवश्यकता के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत क्रय किया जायेगा।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित कार्यों की लागत बॉट आइटम सहित रू0 691.21 लाख (रू0 549.22 लाख + रू0 141.99 लाख) पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि रू0 124.42 लाख आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो। उक्त मद में वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि अनुमन्य होगी।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(11) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार / क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय / उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ का होगा।

(17) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(18) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(19) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(21) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

3. उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -37- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण-24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7- 590 /दस-2023-24, दिनांक 07 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

**संख्या- 122 /2024/ 623 (1) /चार-2024 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- निदेशक, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या: 122 /2024/ 623 /चार-2024 दिनांक 11 मार्च, 2024 का संलग्नक**

(लागत लाख रू0 में)

| क.सं. | मद का नाम | इकाई | प्रस्तावित लागत | | | प्रभाग द्वारा आंकलित लागत | | | कटौती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मात्रा | दर (रू0 में) | लागत | मात्रा | दर (रू0 में) | लागत | |
| | | | विस्तृत आगणानुसार | | | विस्तृत आगणानुसार | | | |
| 1 | CIVIL WORK | | | | 41.73 | | | 41.64 | -0.09 |
| 2 | INTERIOR/ FURNISHING WORK | | | | 325.21 | | | 292.69 | -32.52 |
| 3 | ELECTRICAL WORK | | | | 49.32 | | | 45.05 | -4.27 |
| 4 | EXTEROIR - ELECTRICAL LIGHTING & GLOW SIGNS | | | | 37.93 | | | 34.14 | -3.79 |
| 5 | STAGE P.A. SYSTEM & AUDITORIUMS CURTAINS | Job | 1 | | 57.62 | On Sr. No. 18 | | 0.00 | -57.62 |
| 6 | FIRE ALRAM WORK | job | 1 | | 10.47 | | | 10.47 | |
| 7 | AUDIO VISUAL | | | | 30.56 | | | 27.50 | -3.06 |
| 8 | FURNITURE WORK | | | | 63.96 | On Sr. No. 16 | | 0.00 | -8.96 |
| 9 | AIR CONDITIONING WORK- 2.02Tr 3 Star Inverter High Wall Air Conditioner , Outdoor Stand for Split Air Conditioner, Cabling Work etc. | No. | 31 | | 39.03 | On Sr. No. 17 | | 0.00 | -39.03 |
| 10 | SANITARY SHAFT WORKS (ADMIN) | | | | 10.12 | | | 10.12 | 0.00 |
| 11 | TERRACE WORKS (ADMIN) | | | | 18.07 | | | 18.07 | 0.00 |
| 12 | TRANSFORMER/L.T. PANEL/CABLE | | | | 106.16 | | | 92.72 | -13.44 |
| | **Total** | | | | **790.19** | | | **572.40** | **-217.78** |
| 13 | LESS 5% DUE TO DEPTT. WORKING | Rs. In Lacs | 798.09 | -5% | -39.90 | 578.13 | -5% | -28.91 | 11.00 |
| | **Total** | | | | **758.18** | | | **549.22** | **-208.96** |
| 14 | CENTAGE CHARGES | Rs. In Lacs | 758.18 | 10.0% | 75.82 | 549.22 | 10.0% | 54.92 | -20.90 |
| 15 | LABOUR CESS | Rs. In Lacs | 758.18 | 1% | 7.58 | 549.22 | 1% | 5.49 | -2.09 |
| 16 | FURNITURE WORK | Rs. In Lacs | On Sr. No. 7 | | | | | 55.00 | 55.00 |
| 17 | AIR CONDITIONING WORK- 2.02Tr 3 Star Inverter High Wall Air Conditioner , Outdoor Stand for Split Air Conditioner, Cabling Work etc. | No. | On Sr. No. 8 | | | 31.00 | | 35.13 | 35.13 |
| 18 | STAGE P..A. SYSTEM & AUDITORIUMS CURTAINS | Job | On Sr. No. 5 | | | 1.00 | | 51.86 | 51.86 |
| 19 | G.S.T, with Bought out Item Sr. 16 to 18 | Rs. In Lacs | 758.18 | 18% | 136.47 | 691.21 | 18% | 124.42 | -12.06 |
| | **Total Project Cost** | | | | **978.00** | | | **876.04** | **-101.96** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।